

— हेका में, श्रीमान उपजिला अधिकारी मेरठ में —

विषय:- फाँटे हुए वृक्षापेक्षा हेतु भूखंड उपलब्ध करवाये जाने विषयक

मेरठ में, आपके कार्यालय पत्रांक संख्या 12/10 का प्रारंभ फाँटे हुए वृक्षापेक्षा/ 2015 दिनांक 03/01/2015 को वन भूखंड हस्तांतरण, फाँटे हुए वृक्षापेक्षा हेतु भूखंड उपलब्ध करवाये जाने विषयक है कि उक्त वन भूखंड विभिन्न फोटर में फाँटे हुए वृक्षापेक्षा हेतु शाह कालीमाटी के अन्तर्गत निम्न - भूखंड प्रस्तावित हैं -

1- गाँव मालकोट, कालीमाटी हेतु तेवरवत फोटर नाम हेतु शाह कालीमाटी लाइसेंस के अन्तर्गत शाह कालीमाटी के नॉलेट हैं जसरा नं. 1634 नं. 3.254 हेतु भूखंड प्रस्तावित की जाती है

2- समान मेहनचोरी, वडुवावाला विनायकधर फोटर नाम हेतु खसरा नं. 1634 नं. 7.300 हेतु भूखंड प्रस्तावित की जाती है।

कि उक्त भूखंड शाह कालीमाटी एरर लाइसेंस के N.2A एरर में (जोत) वल्लभ 26 क्षेत्री - 9(3) डा:- वृक्षोन्मूलन के जसरा नं. 1634. क्षेत्र 15.653 हेतु भूखंड में कुल 10.554 हेतु भूखंड फाँटे हुए वृक्षापेक्षा हेतु प्रस्तावित की जाती है प्रस्तावित भूखंड का खसरा नं. एवं नक्का जिला, नक्का डाकघर सत्य है

अतः उपरोक्त विषय के उक्त वन भूखंड प्रस्तावित का

निम्न निम्न निम्न

व. (पुनः प्रस्तावित) उपजिला अधिकारी 4/5/16

THE/RK

वृक्षोन्मूलन

SDM
6/5/16